न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा,जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –35 / 2021

अनवान

1. घनश्याम मेघवाल पुत्र स्व0 देवीलाल मेघवाल जाति मेघवाल पेशा काश्त उम्र 35 वर्ष निवासी मण्डेसरा थाना भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा।

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दा भील पुत्र घीसा भील जाति उम्र 30 वर्ष निवासी मण्डेसरा थाना भैंसरोडगढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक – 18.04.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम मण्डेसरा पटवार हल्का मण्डेसरा की खाता संख्या 33 में दर्ज आराजी नंबर 135 रकबा 2.1600 है0 स्थित है, जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में स्थित है। उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिये प्रार्थी कदीमी समय से उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु बने हुए कदीमी रास्ते से आता–जाता है तथा उक्त आराजीयात पर आने हेतु अपने गाड़ी ट्रेक्टर बेल वगैराह लाता ले जाता रहा है किन्तु अभी लगभग कुछ समय से अप्रार्थी ने उक्त आराजीयात पर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात नही आ जा पा रहा है। तथा खाद व बिज भी लेकर नहीं जा पा रहा है जिसकें कारण प्रार्थी अपनी जमीन पर काश्तकारी भी नही कर पा रहा है । इसलिए उक्त रास्ते को खुलवाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। वाद हेतुक वर्ष 2021 जब प्रार्थी खाद और बीज लेकर अपनी काश्तकारी जमीन पर उक्त रास्ते से जाने की कोशिश की तो अप्रार्थी नन्दा भील ने प्रार्थी को अपने पुराने रास्ते से जाने नही दिया तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ गाली–गलोज करी व डराया व धमकाया जिसके कारण प्रार्थी ने दिनांक 10.03.2021 को श्रीमान के समक्ष रिपोर्ट करी थी जिसकी प्रति भी साथ में सलंग्न है। वर्तमान में विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त आराजीयात में आने जाने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, प्रार्थी के पास स्वयं की आराजीयात में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। जिससे प्रार्थी को उसके आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जाना आवश्यक होने से प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

मण्डेसरा की आराजी नंबर 135 में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी नन्दा भील ने बन्द कर दिया है इसलिए अप्रार्थी नन्दा भील से उक्त रास्ते को ट्रेक्टर गुजरने जितना चौडा रास्ता दिलाया जाने का आदेश पारित करने का व राजस्व रिकार्ड के नक्शें में भी इन्द्राज करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खंडन करते हुए जवाब में कथन किया कि विपक्षीगण के खेत पर आने जाने का कोई कदीमी रास्ता बंद नहीं किया है, वह रास्ता आज भी चालु है . अप्रार्थी की जमीन से प्रार्थी का कोई संबंध नही है, अप्रार्थी की जमीन पर काफी समय से चारों और पत्थरो की कोट बनी हुई है और प्रार्थी कई वर्षा से अप्रार्थी की कोट से बाहर खसरा नं 131 में होकर आता जाता रहा है, प्रार्थी की जमीन में जाने का रास्ता सरकारी जमीन में से होकर है। सन् 2021 मे प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ है अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी का कदीमी रास्ताा बंद नहीं किया है, और अप्रार्थी ने कभी भी कोई गाली गलोज नहीं की और धमकाया भी नहीं है। प्रार्थी को किस खसरा संख्या पर और किस दिशा में रास्ता चाहिये यह जाहिर नहीं किया है। अप्रार्थी से जिस खसरा संख्या 132–133 पर रास्ता मांगना प्रतीत होता है उस खसरा संख्या में कुल 7 खातेदार काश्तकार है उनकों पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी खसरा संख्या 135 में जाने हेतु रास्ता मांग रहा है उस आराजी में 04 खातेदार काश्तकार और है उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है खसरा संख्या 135 मोजा मण्डेसरा के सभी खातेदारों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है उसके बगेर यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध मेन्टेनेबल नहीं है प्रार्थी का पुराना रास्ता खसरा नं. 131 सरकारी भूमि में होकर जाता है प्रार्थी की जमीन में अप्रार्थी का कभी कोई रास्ता खेतो में आने जाने का नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र अस्पष्ट होने से चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम मण्डेसरा पटवार हल्का मण्डेसरा की खाता संख्या 33 में दर्ज आराजी नंबर 135 रकबा 2.1600 है0 घनश्याम पिता देवीलाल मेघवाल हिस्सा 3/8 की सहखातेदारी में दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए पूर्व में कदीमी समय से आने जाने का रास्ता था जिसकों अप्रार्थी नन्दा भील ने बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी की खातेदारी जमीन पर खाद और बीज नहीं ला पा रहा है जिससे प्रार्थी अपनी जमीन पर काश्तकारी भी नहीं कर पा रहा है। उक्त रास्ते को लेकर प्रायः विपक्षीगण खातेदारों से आये दिन विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने के काम आ रहे उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता अंकित कराना चाहता है, इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षीगण को भी देने को तैयार है।

तहसीलदार रावतभाटा ने रिपोर्ट दिनांक 06.07.2021 में घनश्याम पिता देवीलाल मेघवाल के रास्ते हेतु चाही गई भूमि के संबंध में भूमि के खातेदार नन्दा भील पिता धीसा भील साकिन मण्डेसरा की आराजी संख्या 133 मे से दक्षिणी मेड के सहारे सहारे रास्ता चाहता है। खातेदार नन्दा भील की आराजी नंबर 133 रकबा 1.29 है0 मे से 0.05 है0 प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। जिसकी लम्बाई 109 मी. एवं चौडाई 4.587 मी. है। प्रार्थी की अंकित खातेदारी की आराजीयात में आने जाने के लिए प्रार्थी पहले वन

विभाग के नाम दर्ज भूमि में से होकर आता जाता था किन्तु अब वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होकर अतिक्रमियों द्वारा प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु रोक दिया और निकलने हेतु मना कर दिया।इसके अनुसार प्रार्थी को ग्राम मण्डेसरा की उक्त आराजीयात के रकबा 1.29 है0 में से कुल 0.05 है0 भूमि की नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जमा कराने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम मण्डेसरा तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 135 रकबा 2.16 है0 में आने जाने का रास्ता दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर मण्डेसरा पटवार हल्का मण्डेसरा की आराजी संख्या 133 रकबा 1.29 है0 भूमि मे से 0.05 है0 (लम्बाई 109 मी. व चौडाई 4.587मी.) भूमि की नियमानुसार डी.एल. सी. दर की दुगुनी राशि का भुगतान संबंधित खातेदारान को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू सार्वजनिक रास्ते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षीगण को किये जाने बाबत उक्त राशि का भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भेजी जावे।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी रावतभाटा

प्रतिलिपि – तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ प्रेषित है।